

हरियाणा सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय राज्यपाल महोदय, एतद् द्वारा, निम्नलिखित अन्वेषकों को हरियाणा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग (वर्ग 'ख') सेवा नियम, 2022 के प्रावधानों अनुसार तुरन्त प्रभाव से, वृत्तिमूलक वेतन स्तर-7 (7वें वेतन आयोग अनुसार) में जिला समाज कल्याण अधिकारी (वर्ग 'ख') के पद पर पदोन्नत तथा नियुक्ति करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरान्त नियुक्ति	टिप्पणी
1.	श्री नरेश कुमार	जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिरसा	रिक्त पद के विरुद्ध
2.	श्रीमती इन्द्रा यादव	जिला समाज कल्याण अधिकारी, फरीदाबाद	रिक्त पद के विरुद्ध
3.	श्रीमती अनीता रानी	जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनीपत	रिक्त पद के विरुद्ध
4.	श्री विनोद कुमार	जिला समाज कल्याण अधिकारी, यमुनानगर	रिक्त पद के विरुद्ध
5.	श्री सुदेश कुमार	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पलवल	रिक्त पद के विरुद्ध
6.	श्री औम प्रकाश	जिला समाज कल्याण अधिकारी, चरखी दादरी	रिक्त पद के विरुद्ध
7.	श्री ईश्वर सिंह	जिला समाज कल्याण अधिकारी, अम्बाला	रिक्त पद के विरुद्ध
8.	श्री तेजपाल	माननीय मुख्य मंत्री महोदय, हरियाणा के कार्यालय में (वर्तमान में भी कार्यरत हैं)। उप-निदेशक के रिक्त पद के विरुद्ध उनका वेतन आहरित किया जायेगा	
9.	श्री राजीव कुमार	जिला समाज कल्याण अधिकारी, फतेहाबाद	रिक्त पद के विरुद्ध

2. उपर्युक्त अधिकारियों की यह पदोन्नति निम्न शर्तों के अंतर्गत होगी:-

- क) जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए गए उम्मीदवार कार्यग्रहण तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

- ग) भविष्य में यदि, किसी उम्मीदवार की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के अन्वेषक के पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।
- घ) यह आदेश किसी सक्षय न्यायालय अथवा अधिकरण में संबंधित विषय पर पूर्व या पश्चातवर्ती पारित निर्णय (यों) के अध्यक्षीन रहेगा।


चण्डीगढ़, दिनांक
05.07.2022

(विनीत गर्ग, भा0प्र0से0)
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

पृ0 क्रमांक 368-स0क0(4)-2022 चण्डीगढ़, दिनांक 05.07.2022

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/आडिट) हरियाणा, चण्डीगढ़
- 2- महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़
- 3- ✓ उपायुक्त, सिरसा, फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी, अम्बाला, फतेहाबाद
- 4- कोषाधिकारी, सिरसा, फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी, अम्बाला, फतेहाबाद
- 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिरसा, फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी, अम्बाला, फतेहाबाद
- 6- निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- 7- निजी सचिव/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
- 8- सभी संबंधित अधिकारी को आदेश भेजते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि वह तुरन्त प्रभाव से अपने नये नियुक्ति स्थान पर कार्यग्रहण करते हुये अपनी उपस्थिति रिपोर्ट तुरन्त भिजवायें


(किरणजीत कौर)

उप-अधीक्षक (स0क0)
कृते: अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

